



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1470/2020

मधुबाला उर्फ मधु पत्नी सुरेश कुमार, आयु 35 वर्ष, निवासी— आमलदा, थाना शक्करगढ, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा (राज.)

....प्रार्थीया / अपीलार्थीया

बनाम

1. शशिकान्त परेटा पुत्र राधेश्याम, आयु 29 वर्ष, निवासी— मकान नं. 290 विनोभा भावे नगर, कोटा (राज.)
(वाहन चालक कार नं.—आर.जे.—20 / सी.सी—6153)
2. पवन कुमार परेटा पुत्र राधेश्याम, निवासी— मकान नं. 290 विनोभा भावे नगर, कोटा (राज.)
(वाहन स्वामी कार नं.—आर.जे.—20 / सी.सी—6153)
3. नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. जीवन निधि, द्वितीय तल, भवानी सिंह रोड, जयपुर (राज.)
(बीमाकर्ता कार नं.—आर.जे.—20 / सी.सी—6153)

....अप्रार्थीगण

For Appellant(s)	: Mr. Bhanu Prakash Verma, Adv.
For Respondent(s)	: Ms. Bharti Trivedi, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

10/12/2025

1. अपीलार्थीया मधुबाला उर्फ मधु द्वारा यह अपील धारा—173 मोटर वाहन अधिनियम—1988 के तहत न्यायालय न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, क्रम—2, बून्दी (राज.) (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या—1160 / 2016 (493 / 2016), मधुबाला उर्फ मधु बनाम शशिकान्त परेटा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2019 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलार्थीया द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 73,98,000 /— रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त



क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याची को कुल 4,95,026/— रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 06 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थिया की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया की मासिक आय 5,000/— रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि वक्त घटना अपीलार्थिया सिलाई का कार्य कर व परचूनी की दुकान कर 21,000/— रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करती थी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का यह भी तर्क रहा है कि दुर्घटना में अपीलार्थिया के शरीर के विभिन्न भागों में साधारण व गंभीर चोटें तथा अपीलार्थिया के दोनों पैरों में अस्थि भंग की गंभीर चोटें कारित हुई, जिनके फलस्वरूप अपीलार्थिया के शरीर पर कुल 46 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त 46 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 20 प्रतिशत आंका जाकर त्रुटि कारित की गयी है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में पृथक से कोई राशि अपीलार्थिया को नहीं दिलवाई गई है तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थिया की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थिया के दोनों पैरों में अस्थि भंग की गंभीर चोटें कारित हुई तथा शरीर के अन्य हिस्सों में साधारण व गंभीर चोटें कारित



हुई, जिनके फलस्वरूप अपीलार्थिया के शरीर पर कुल 46 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr.** reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases 450**, में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

"12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."

"13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"

"15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 12.04.2016 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थिया द्वारा स्वयं को 32 वर्ष की आयु का होना बताते हुए सिलाई का कार्य कर तथा परचूनी की



दुकान कर प्रतिमाह 21,000/— रुपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किन्तु अपीलार्थिया द्वारा अपनी आय का कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थिया को अकुशल श्रमिक होना मानते हुए उसकी मासिक आय 5,000/— रुपये निर्धारित की गई है। घटना दिनांक 12.04.2016 की बताई गयी है। वक्त घटना अपीलार्थिया को सिलाई का कार्य करना तथा परचूनी की दुकान करना व घरेलू कामकाजी महिला होना बताया गया है। घरेलू काम काज करने वाली महिला स्वयं के कार्यों के अतिरिक्त अपने परिवार के लोगों की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करती है। इन परिस्थितियों में यह न्यायालय अपीलार्थिया के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए वक्त घटना अपीलार्थिया को कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी आय निर्धारित किया जाना उचित समझती है। वक्त घटना कुशल श्रमिक की दैनिक आय 221/— रुपये प्रतिदिन, तदनुसार $221 \times 30 = 6,630/—$ रुपये होती है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थिया की आयु 32 वर्ष निर्धारित की गयी है। चूंकि वक्त घटना अपीलार्थिया 32 वर्ष की आयु की स्वनियोजित महिला थी। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थिया की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय 6,630/— रुपये में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है। 6,630/— रुपये का 40 प्रतिशत 2,652/— रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत अपीलार्थिया की कुल शुद्ध मासिक आय 9,282/— रुपये होती है जो क्षतिपूर्ति निर्धारण का आधार रहेगी।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थिया के शरीर के विभिन्न भागों पर साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई तथा अपीलार्थिया के दोनों पैरों में अस्थि भंग की गंभीर चोटें कारित हुई, जिनके फलस्वरूप अपीलार्थिया के शरीर में कुल 46 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता



प्रमाण-पत्र प्रदर्श-172 के अवलोकन से स्पष्ट है। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **राजकुमार बनाम अजय कुमार व अन्य** रिपोर्टेड इन (2011) 1 एससीसी 343 के मामले प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थिया को कारित 46 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 20 प्रतिशत आंका गया है।

9. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त **Prakash Chand Sharma Vs. Rambabu Saini & Anr.** reported in **2025 SCC Online SC 276**, के मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है कि :—

"9. The Tribunal questioned the competence of the Medical Board to assess the permanent disability of the claimant-appellant, terming the certificate of the Medical Board as not completely reliable. If the Tribunal had reason to doubt the medical certificate, the option available before it was to have the disability re-assessed but it could not have gone into the details of the determination of disability. Since that course of action has not been adopted, the opinion of the Medical Board, being an opinion of the experts is to be treated as such. That apart, the comatose state of the claimant-appellant is not in dispute."

10. इस प्रकार **प्रकाश चंद शर्मा (उपरोक्त)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि विद्वान अधिकरण, स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी स्थायी निर्योग्यता को कम नहीं कर सकता। यदि विद्वान अधिकरण को स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र के संबंध में कोई संदेह हो तो वह स्थायी निर्योग्यता के संबंध में पुनः विशेषज्ञ की राय प्राप्त कर सकता है। अन्यथा ऐसी स्थिति में मेडिकल बोर्ड के विशेषज्ञों द्वारा स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र में जो स्थायी निर्योग्यता दर्शायी गयी है, वह पूर्ण स्थायी निर्योग्यता विशेषज्ञों की राय अनुसार यथावत मानी जावेगी।



11. हस्तगत मामले में स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-172 राजकीय चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में हम, **प्रकाश चन्द शर्मा (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त से सहमत होते हुए अपीलार्थिया के स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-172 में दर्शायी गयी 46 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में भी 46 प्रतिशत आंका जाना उचित समझते हैं।

12. वक्त घटना अपीलार्थिया को घरेलू कामकाजी महिला होने के साथ-साथ सिलाई का कार्य करना व परचूनी की दुकान करना बताया गया है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय में कमी होना स्वाभाविक है। इस प्रकार अपीलार्थिया को कारित हुई 46 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता के आधार पर हम, अपीलार्थिया को आय की क्षति भी 46 प्रतिशत होना पाते हैं। तदनुसार अपीलार्थिया की निर्धारित मासिक आय 9,282/- रुपये का 46 प्रतिशत 4,270/- रुपये होता है जो अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थिया की आयु 32 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर अपीलार्थिया की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 16 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति $4,270 \times 12 \times 16 = 8,19,840$ /- रुपये होती है जो अपीलार्थिया प्राप्त करने की अधिकारी है।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को इलाज पर व्यय की गयी राशि के मद में 1,94,726/- रुपये, एक साधारण चोट व चार गंभीर चोटों की मद में 21,000/- रुपये तथा 11 दिन अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 5,500/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त मदों में दिलवाई गयी राशि में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।



14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 5,000 /— रुपये की राशि दिलवाई गयी है जो कम है। अतः शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में हम, 46,000 /— रुपये की राशि अपीलार्थिया को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

15. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी की मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में हम, अपीलार्थिया को 46,000 /— रुपये की राशि पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

16. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को पौष्टिक आहार की मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। यह स्वभाविक है कि अपीलार्थिया को कारित चोटों के फलस्वरूप विशेष आहार की आवश्यकता रही होगी। ऐसी स्थिति में हम पौष्टिक आहार की मद में 20,000 /— रुपये की राशि अपीलार्थिया को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

17. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को यातायात व परिवहन पर व्यय की गयी राशि के मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः यातायात व परिवहन की मद में हम, 10,000 /— रुपये की राशि अपीलार्थिया को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

18. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को इलाजरत अवधि के दौरान हुई आय की हानि के मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। यह स्वभाविक है कि दुर्घटना में अपीलार्थिया के कारित हुई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थिया करीब चार माह तक आय अर्जित करने में असमर्थ रही होगी। ऐसी स्थिति में हम, चार माह की आय की हानि के मद में 26,520 /— रुपये की राशि अपीलार्थिया को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

19. उक्तानुसार अपीलार्थिया/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :-

क्रम संख्या	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	भविष्य में होने वाली आय अर्जन की क्षमता में कमी के मद में	8,19,840 /—



2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	46,000 /—
3.	भविष्य में होने वाली सुख-सुविधाओं की कमी के मद में	46,000 /—
4.	इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में	1,94,726 /—
5.	पौष्टिक आहार की मद में	20,000 /—
6.	यातायात व परिवहन पर व्यय हुई राशि के मद में	10,000 /—
7.	11 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	5,500 /—
8.	एक साधारण चोट व चार गंभीर चोटों की मद में	21,000 /—
9.	इलाजरत अवधि के दौरान हुई चार माह आय की हानि के मद में	26,520 /—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि		11,89,586 /—
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (—)		4,95,026 /—
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		6,94,560 /—

20. तदनुसार अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थिया को **4,95,026 /— रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **11,89,586 /— रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थिया द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थिया प्राप्त करने की अधिकारी पायी जाती है।

21. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थिया, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी है।

22. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

23. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J